31.3.2021

वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में रिपोर्ट तप्र प्राप्त हुई। बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपील अपीलान्ट स्वीकार की गई। तहसीलदार करौली को मूल नामान्तकरण पत्रावली निर्णय प्रति के साथ पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र सिंह परमार आर.ए.एस.

मु.न.	आर.सी.एम.एस	तारीख रजू
2/2020	2020/00021	17.02.2020

1. रामगिलास आयु 36 साल } पुत्रान फिरंगी जातियान गुर्जर निवासीयान गर्जा
2. गजेन्द्र सिंह आयु 32 साल } तन सैगरपुरा तहसील करौली जिला करौली
3. भगवती वेवा फिरंगी

अपीलान्ट

1. ग्यानसिंह पुत्र भौजा आयु 60
2. अमरसिंह आयु 45 साल } जातियान गुर्जर निवासीयन गुर्जा तन सैगरपुरा
3. सोहन सिहं आयु 40 साल } तहसील करौली जिला करौली
4. भवंर पुत्र फिरंगी आयु 39
5. सरपंच ग्राम पंचायत सैगरपुरा पंचायत समिति व तहसील करौली व जिला करौली।

रेस्पोडैन्ट

<u>अपील नामान्तकरण संख्या 840 दिनांक 05.05.2005 ग्राम सैगरपुरा</u>

निर्णय   दिनांक 31.03.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील इस प्रकार प्रस्तुत की है कि निर्णय दिनांक 05.05.2005 अदालत मातहत रेस्पोडैन्ट न05 ग्राम पंचायत सैगरपुरा खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिलहै आरवेटैटरी है परिवरिश रेस्पोडैन्ट है पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम रामगिलास के स्थान पर कल्ला व गजेन्द्र सिंह के स्थान पर गज्जा व भगवंती के स्थान पर हल्की बिला आधार अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर नोटिस दिये दर्ज किया गया है कोई सजरा पटवारी हल्का द्वारा ग्राम पंचायत सैगरपुरा से नही लिया और एक ही दिन में सारी कार्यवाही की जाकर जैर अपील निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वतों के विपरीत है अपीलान्ट का वास्तविक नाम रामगिलास,गजेन्द्र सिंह,भगवती है एवं अपीलान्ट के समस्त कागजात राशन कार्ड पहचानपत्र आधार कार्ड बैंक पासबुक में नाम रामगिलास गजेन्द्रसिंह,भगवती अंकित है नामान्तकरण नम्बर 840 दिनांक 05.05.2005 निरस्त किये जाने योग्रू है और पत्रावली पुनः सुनवाई को रिमाण्ड कर सही नाम से पुनः नामान्तकरण भरवाकर सही नाम [illegible] जाने योग्य है जैर अपील नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 22.0.12..0 को पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड देखने पर हुई तब नकल नामान्तकरण का आवेदन दिनांक 24.01.2020 को किया और नकल दिनांक 06.02.2020 को प्राप्त होने पर हुयी है दिनांक 05.05.2005 से दिनाक 22.01.2020 तक का समय जानकारी के अभाव में क्षम्य किया जाकर अपील अपीलान्टस अन्दर म्याद शुमार किया जाना न्यायोचित है जिसके लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है अन्त अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडैन्टस को जरिये सम्मन तलव किया गया। मूल नामान्तकरण पत्रावली तलव कर शामिल की गयी।

रेस्पोडैन्टस ने उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलान्ट का नाम शुद्ध कराने में हम सह खातेदार व ग्राम पंचायत सैगरपुरा को कोई आपत्ति नही है। अपीलान्ट सही नाम अपील मे दर्ज किये है। भू– अभिलेख निरीक्षक गुडला से रिपोर्ट तलव की गयी दिनांक 31.03.2021 को प्राप्त होने पर शामिल मिसिल की गयी।

वहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट का वहस में कथन है कि विरासत नामा0 संख्या 840 दिनांक 05.05.2005 में पटवारी हल्का ने अपीलान्टस के नाम कल्ला ,गज्जा हल्की अपीलान्टस को बिना सुने व नोटिस दिये और बिना ग्राम पंचायत सैगरपुरा से सजरा लिये गलत तौर पर दर्ज किये है जबकि अपीलान्टस के सही नाम रामगिलास,गजेन्द्र सिंह व भगवती है यही सही नाम अपीलान्टस के समस्त कागजात राशन कार्ड आधार कार्ड परिचय पत्र व बैंक पास बुक मं अंकित है। अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण में सही दर्ज करवाये जावें। अपील अपीलान्टस स्वीकार की जावें।

वहस वकील अपीलान्ट का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नामान्तकरण संख्या 840 दिनांक 05.05.2005 व दस्तावेज राशन कार्ड आधार कार्ड,परिचय पत्र बैंक पासबुक का विवेचन किया गया एवं भू अभि0 निरीक्षक गुडला द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट का अवलोकन कियागया जिसमें उन्होने मजमे आम में मौके पर्चा वाद जॉच तैयार किया है। जिसमें अपीलान्टस के नाम रामगिलास उर्फ कल्ला गजेन्द्र सिंह उर्फ गज्जा व भगवती उर्फ हल्की दोनो ही नाम अपीलान्ट के ही है होना बताया है। जिसे अपीलान्ट के वास्तविक व सही नाम रामगिलास,गजेन्द्र सिंह,व भगवती होना ही प्रकट होता है नामान्तकरण में पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के गांव में बोलने जो नाम है वह दर्ज किये गये होना प्रकट होता है ऐसी स्थिति में अपीलान्टस अपने नाम नामान्तकरण में दुरस्त कराने के अधिकारी है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है नामान्तकरण खसरा संख्या 840 दिनांक 05.05.2005 अपीलान्टस के नामो की हदतक निरस्त किया जाता है तहसीलदार करौली को आदेश दिये जाते हैं कि वह नामान्तकरण संख्या 840 दिनांक 05.05.2005 मे अपीलान्ट न0 1 का नाम कल्ला के स्थान पर रामगिलास व अपीलान्टस न02 का नाम गज्जा के स्थान पर गजेन्द्र सिंह व अपीलान्ट न0 3 का नाम हल्की के स्थान पर भगवती दर्ज करें। रेस्पोडैन्ट न04 का नाम भवर यथावत रखा जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति मूल पत्रावली नामान्तकरण के साथ्ज्ञ पालना के लिए तहसीलदार करौली को भिजवाई जावें

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:51 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Scanned with CamScanner